

इसे वेबसाईट www.govt_pressimp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 जनवरी 2017—पौष 29, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2017

क्र. डी-15-7-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 145/13, दिनांक 9 जून 1953 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, मन्दसौर, जिला मन्दसौर के मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिसेत्र को अतिरिक्त मंडी प्रांगण घोषित करती है :—

स्थान

ग्राम लालघाटी, ग्राम पंचायत लालघाटी, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 6.000 हेक्टर (15.00 एकड़) भूमि का क्षेत्रः—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	33/239/1	1.940
	योग :	1.940

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—खुली भूमि.

दक्षिण में—रोड 20 मीटर.

पूर्व में—निजी भूमि.

पश्चिम में—शासकीय भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय गुप्ता, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2017

क्र. डी-15-7-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंबंधिक अधिसूचना दिनांक 19 जनवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय गुप्ता, उपसचिव,

Bhopal, the 19th January 2017

No. D-15-7-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following area's including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Mandsaur District Mandsaur has been established by this department's Notification No. 145/13, dated 9th June, 1953 shall be Additional market yard namely :—

PLACE

An area of 1.940 hectare,s land of below mentioned Khasra number at Gram Lalghati, Gram Panchayat Lalghati in Tehsil Mandsaur of District Mandsaur :—

S. No.	Khasra No.	Area (In Hectar)
(1)	(2)	(3)
1	33/239/1	1.940
	Total :	1.940

BOUNDED BY

On the North by—Vacent Land.

On the South by—Land of 20 meeter.

On the East by—Private Land.

On the West by—Govt. Land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY GUPTA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2017

क्र. डी-15-7-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक .. जनवरी 2017 द्वारा घोषित मंडी प्रांगण मन्दसौर, जिला मन्दसौर के निम्नलिखित क्षेत्र को अतिरिक्त मंडी क्षेत्र घोषित करती हैः—

क्षेत्र

(1) ग्राम लालघाटी, ग्राम पंचायत लालघाटी, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) मण्डी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :—

(1) भून्याखेड़ी, (2) लालघाटी, (3) बोरखेड़ा, (4) जगगाखेड़ी (संजीतरोड), (5) किट्यानी, (6) हिंगरिया, (7) रूपावली, (8) साबाखेड़ा, (9) सुल्तानपुरा, (10) बोराखेड़ी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2017

क्र. डी-15-7-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 जनवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

Bhopal, the 19th January 2017

No. D-15-7-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krish Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard *vide* this department's notification even number, dated January 2017 the following area of Mandsaur of District Mandsaur shall be Additional market area :—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Lalghati, Gram Panchayat Lalghati in Tehsil Mandsaur of District Mandsaur.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the mark yard namely :—
 - (1) Bhunyakhedi, (2) Lalghati, (3) Borkheda, (4) Jaggakhedi (Sanjeet Road) (5) Kityani, (6) Higariya, (7) Rupawali, (8) Sabakheda, (9) Sultanpura, (10) Borakhedi.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY GUPTA, Dy. Secy.